

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को लेकर सिर्फ 11 दिन

पटना. बिहार विधानसभा की मतदाता सूची में वोटर्स के नाम शामिल कराने में अब सिर्फ 11 दिन शेष रह गये हैं. राज्य में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 11 जनवरी तक आवेदन का अंतिम मौका है. इधर, आयोग द्वारा 10 जनवरी, 2020 को बूथों पर विशेष शिविर का भी आयोजन किया जायेगा, जो मतदाता पहली जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं उनके लिए यह

सही वक्त आ गया है जब वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जायें. लोकसभा, विधानसभा सहित पंचायत व नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराना पहली शर्त है. जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं है वह अपने बीएलओ या संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास आवेदन सौंप दें.

